प्रेस नोट *03/12/2024*

20.366 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्रि के पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 02.12.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन रामलीला मैदान के पास से अभियुक्तगण एनुद्दीन अली पुत्र स्व0 मेघा अली निवासी बिहापारा थाना तामूलपुर जिला बक्सा असम, ममोनी बेगम पत्नी हफिजुर्रहमान निवासी उदयना थाना रंगिया जनपद कामरूप असम के कब्जे सें 20.366 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 392/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण–

1. एनुद्दीन अली पुत्र स्व0 मेघा अली निवासी बिहापारा थाना तामूलपुर जिला बक्सा असम।
2. ममोनी बेगम पत्नी हफिजुर्रहमान निवासी उदयना थाना रंगिया जनपद कामरूप असम।

बरामदगी–

1. 20.366 किलोग्राम अवैध गांजा।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री अनिल कुमार सिंह, उ0नि0 शंकर कुमार यादव, उ0नि0 अनिल कुमार द्विवेदी, म0उ0नि0 अंजनी पाण्डेय, का0 अमरेश कुमार, का0 विजय कुमार गोंड, का0 राहुल मौर्य, का0 शिवम भारतीय, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत हत्या मामले में दोषसिद्ध 04 अभियुक्त आजीवन कारावास व ₹26,500–26,500 के अर्थदंड से हुये दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एएसजे–1 जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 03–12–2024 को मु0अ0सं0 1155/07 धारा 147,148,149,323,336,504,452,307,302 भादवि थाना मुहम्मदाबाद में दोषसिद्ध अभियुक्तगण रामनाथ, श्यामनाथ पुत्रगण निर्मल, निर्मल पुत्र कुमार व बांके पुत्र खरपत्तू निवासीगण जहनियापुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए आजीवन कारावास व ₹26,500–26,500 के अर्थदंड के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 04 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा। साथ ही साथ उक्त श्यामनाथ के विरुद्ध थाना मुहम्मदाबाद में पंजीकृत मु0अ0सं0 1156/07 धारा 25 आयुद्ध अधि0 में 02 वर्ष के कारावास की सजा व 02 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

सजा कराये जाने में लोक अभियोजक श्री नंदलाल भारती, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अखंड प्रताप गौतम थाना मुहम्मदाबाद का सराहनीय योगदान रहा।